संख्या-80/2022/616/2218938/2022/12-5002(099)/13/2022

प्रेषक,

अमर चन्द्र,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश,

कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 25 अक्टूबर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी0ए0/642/पुनर्विनियोग/2022-23, दिनांक 12-09-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय (भारित) में रू.4.50 लाख (रूपया चार लाख पचास हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग मा0 न्यायालय से आच्छादित प्रकरणों में ही किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
अमर चन्द्र
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र यी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल यथा प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य संबंद्ध विभाग (कृषि) प्रपत्र यी0एम0-9

वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-11 2401 00 001 03 00 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन 03- कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना					
01-वेतन	4795.12	4.50	4.50	4.50	4790.62
योग	4795.12	4.50	4.50	4.50	4790.62

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-11 2401 00 001 03 00 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन 03- कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना					
42-अन्य व्यय (भारित)	20.00	24.50	4.50	4.50	24.50
योग	20.00	24.50	4.50	4.50	24.50

(रु. चार लाख पचास हजार मात्र)

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है-
अ-वास्तविक माँग के आधार पर बचत है।
2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
ब-एम0ए0सी0सं0-430/2001 एवं 431/2001 (एम0ए0एफ0ओ0 2273-2004) श्रीमती मुकेश देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 31-03-2021 को अन्तिम अवार्ड पारित किया गया है, के क्रम में कृषि निदेशालय के आदेश पत्रांक-870/कृ0नि0/भारित/2022-23, दिनांक 29-08-2022 के अनुपालन हेतु धनराशि की आवश्यकता है।
3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-budget-1-101 दस-2022, दिनांक 17-10-2022

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन

(फूल चन्द यादव)
अनु सचिव
वित्त विभाग, उ0प्र0शासन

Signed by फूल चन्द यादव
Date: 07-10-2022 17:10:52
Reason: Approved

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-616/2218938/12-5002(099)/13/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियाँ में)।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।